सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–871 / 2021 (दिनांक 01.09.2021) के अन्तर्गत नाबार्ड / राज्य सेक्टर मद में विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी के दाये पार्श्व पर घस्यारामण्डी बस्ती में शारदा नदी से बाढ सुरक्षा कार्य का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त / एम0एस0एम0ई0 विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एच0सी0 सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री डी0एस0 कछवाह, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– शारदा के दाये तट पर स्थित टनकपुर के समीप नदी का बहाव लगातार घस्यारामण्डी बस्ती की ओर होने के कारण आस–पास में निवास कर रहे लगभग 3 हजार जनसंख्या एवं आबादी को नदी के कटाव से खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे आबादी की सुरक्षा हेतु शारदा नदी पर बाढ सुरक्षा कार्य की आवश्यकता के फलस्वरूप यह योजना गठित की गयी है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।

3. **योजना प्राविधान** :– परियोजना में 95 मी0 लम्बाई, 14 मीटर चौडाई व 07 मीटर ऊँचाई के Single Stud का प्राविधान किया गया है, जिसमें स्टड की नोज से 60 मीटर तक सी0सी0 1:3:6 ब्लॉक एवं उसके पीछे 35 मीटर लम्बाई में आर0आर0 1:4 चिनाई से 10 मीटर चौडाई के दो लेयर प्रस्तावित है।

   स्पर की Toe Protection हेतु 18 मीटर चौडाई में सी0सी0 1:3:6 में ब्लॉक साईज 03 x 03 x 1.5 मीटर एवं दूसरी लेयर में 12 मीटर चौडाई में 3 x 3 x 1 मीटर साईज के सी0सी0 ब्लॉक का प्राविधान है।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

   4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें योजना की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए योजना को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी।

   4.2 योजना राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 40वी बैठक दिनांक 23.10.2021 में अनुमोदित है। योजना में नदी पर 95 मीटर लम्बाई 14 मीटर चौडाई एवं 7 मीटर ऊँचाई में सी0सी0 ब्लॉक एवं पत्थर चिनाई में एक स्पर का प्राविधान किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.3 योजना के निर्माण से 02 हेक्टेयर कृषि भूमि, 20 संख्या कच्चे मकान एवं 25 संख्या पक्के मकानों एवं 03 हजार जनसंख्या को शारदा नदी के बाढ एवं कटाव से सुरक्षा प्रदान किया जाना अवगत कराया गया है।

4.4 योजना का Hydraulic Design एवं Structural Design विभाग द्वारा इन हाउस किया गया है जिसको अधिकृत संस्थान / सक्षम स्तर से अनुमोदन आवश्यक है।

4.5 योजना आगणन में कृषि भूमि, कच्चे एवं पक्के मकान की लागत जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ली गयी है।

4.6 योजना में दरें एस0ओ0आर0 2021 की दरें के आधार पर ली गयी है।

4.7 बाढ सुरक्षा योजना का लाभ लागत अनुपात 4.48 : 1 आंकलित किया गया है।

4.8 आगणन में 1440 घण्टें Dewatering का प्राविधान रखा गया है Dewatering हेतु कार्य स्थल पर लाग–बुक रखते हुए प्रतिदिन के घण्टों का शत–प्रतिशत सत्यापन सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4.9 Diversion कार्य में 31,800 सीमेन्ट के खाली बोरे भरकर लगाया जाना प्राविधानित है उक्त कार्य की रिकार्ड माप सक्षम स्तर से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

4.10 योजना के कार्य Lean Peroid में कराये जाय ताकि Dewatering एवं Diversion कार्य की लागत कम हो सकेगी।

4.11 योजना आगणन में प्रपत्र–क एवं ख संलग्न है।

4.12 योजना का वित्त पोषण नाबार्ड से प्रस्तावित है।

4.13 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

Particular	DSR
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–871/2021 (दिनांक 01.09.2021) के अन्तर्गत नाबार्ड/राज्य सेक्टर मद में विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी के दाये पार्श्व पर घस्यारामण्डी बस्ती में शारदा नदी से बाढ सुरक्षा कार्य	523.69
Add 12 GST	62.84
Add 1 % Contingency Charge @4%	20.95
Total Cost of Work	**607.48**

परियोजना की कुल लागत :– रू0 607.48 लाख

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया एवं प्राविधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव, सिंचाई विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में **योजना की लागत रू0 607.48 लाख (प्रस्तर–4.13 के अनुसार) को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–**

5.1 योजना शारदा नदी के किनारे प्रस्तावित है, जो कि Snow Fed River है अतः निर्माण कार्य lean Period में कराये जाय, ताकि Dewatering एवं Diversion कार्य की आवश्यकता कम हो सकें।

5.2 बाढ सुरक्षा कार्यो को Most Economic, Technically Feasible and Cost Effectiveness को ध्यान में रखते हुए सम्पादित कराये जाय।

5.3 योजना से सम्बन्धित कार्यो की डिजाइन एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से अवश्य अनुमोदित करायी जाय।

Pant

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.4 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.5 निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं workmanship प्रत्येक दशा में उच्च स्तर की बनाया रखना सुनिश्चित किया जाय।

5.6 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.7 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पी0बी0सी0 पाईप, cement, Steel एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.8 आगणन में एस0ओ0आर0–2021 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.9 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 33 /866/सिंचाई/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 06, जनवरी, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव